भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *183
(15 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन

***183. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:**
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वह उद्देश्य हासिल कर लिया है जिसके लिए प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आरंभ की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन करते समय सरकार के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां आती हैं;
(ग) क्या प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कम संख्या में आवास निर्मित एवं आबंटित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यरत निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है कि उक्त योजना के अंतर्गत लक्षित वर्गों के लोगों को ही लाभ मिले;
(ड.) क्या धनराशि की कमी से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आवासों के निर्माण का कार्य अत्यधिक प्रभावित होता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु धनराशि की कमी की समस्या से बचने के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार को गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उक्त योजना के अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण किया गया है/निर्माण किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *183 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यकलाप भी प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में आ रही प्रमुख चुनौतियों में राज्य द्वारा राजकोष से केंद्रीय और राज्य अंश की पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में रिलीज में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवास, मृत लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार के मामले, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में देरी और कभी-कभी विभिन्न राज्यों में आम चुनावों, विधानसभा/ पंचायत चुनावों, निर्माण सामग्री की अनुलब्धता के कारण भी देरी हुई।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 60% लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय स्तर पर कुल निधियों का 15% सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 तथा ग्राम सभाओं के सत्यापन के अनुसार शामिल किए जाने वाले अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अल्पसंख्यकों के लक्ष्यों का आवंटन वर्ष 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की ग्रामीण आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत और निर्मित मकानों की कुल संख्या **अनुबंध–I** में संलग्न है।

(घ) से (च): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मानकों के आधार पर किया जाता है और ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत – वार स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जो एक पारदर्शी प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त योजना की अनेक स्तरों से सतत समीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा, माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिशा की बैठकों एवं क्षेत्राधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता से भी मानिटरिंग की जाती है।

दिनांक 10 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य नोडल खातों (एसएनए) में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध–II** में दिया गया है।

मंत्रालय पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एफएफआई) के प्रावधानों तथा वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के केंद्रीय अंश की समय पर रिलीज सुनिश्चित कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार को रिलीज की गई केंद्रीय अंश की निधियों का ब्यौरा तथा महाराष्ट्र राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या **अनुबंध-III** में संलग्न है।

पीएमएवाई-जी की लक्षित समय सीमा मार्च, 2024 है।

*****

अनुबंध – I

लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 10 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार,पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत और निर्मित मकानों की कुल संख्या

श्रेणी	**स्वीकृत मकान**		**निर्मित मकान**	
	संख्या	**कुल का %**	**संख्या**	**कुल का %**
अनुसूचित जाति	53,48,791	23.48	40,27,903	23.03
अनुसूचित जनजाति	48,66,611	21.36	37,21,797	21.28
अल्पसंख्यक	28,73,174	12.61	22,54,605	12.89
अन्य (अन्य पिछड़ा वर्ग सहित)	96,95,844	42.55	74,83,770	42.79
कुल	**2,27,84,420**	**100.00**	**1,74,88,075**	**100.00**

****

अनुबंध–II

लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (घ) से (च) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 10 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य नोडल खातों (एसएनए) में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य नोडल खाते (एसएनए) में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष (रु. करोड़ में)		
		कुल	कार्यक्रम निधि	प्रशासनिक निधि
1	अरुणाचल प्रदेश	2.71	2.43	0.28
2	असम	768.14	713.77	54.37
3	बिहार	492.66	463.89	28.77
4	छत्तीसगढ	217.95	145.28	72.67
5	गोवा	1.63	1.63	0
6	गुजरात	377.21	343.17	34.04
7	हरियाणा	23.01	19.7	3.31
8	हिमाचल प्रदेश	8.68	4.96	3.72
9	जम्मू और कश्मीर	73.55	73.55	0
10	झारखंड	685.13	625.8	59.33
11	केरल	32	0	32
12	मध्य प्रदेश	556.53	467.13	89.4
13	महाराष्ट्र	1,030.16	908.76	121.4
14	मणिपुर	23.79	22.76	1.03
15	मेघालय	85.23	81.59	3.64
16	मिजोरम	0.23	0.16	0.07
17	नागालैंड	19.39	19.36	0.03
18	ओडिशा	1,317.29	1,261.90	55.39
19	पंजाब	7.97	7.85	0.12
20	राजस्थान	492.79	462.52	30.27
21	सिक्किम	1.65	1.6	0.05
22	तमिलनाडु	762.14	699.68	62.46
23	त्रिपुरा	24.97	17.22	7.75
24	उत्तर प्रदेश	957.13	910.44	46.69
25	उत्तराखंड	80.01	77.03	2.98
26	पश्चिम बंगाल	1,326.44	1,274.97	51.47
27	अण्डमान और निकोबार	9.54	9.19	0.35
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	53.58	53.58	0
29	लक्षद्वीप	0.23	0.21	0.02
30	आंध्र प्रदेश	565.63	565.63	0
31	कर्नाटक	35.99	35.99	0
कुल		**10,033.36**	**9,271.75**	**761.61**

****

अनुबंध–III

लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (घ) से (च) के उत्तर के विवरण में उल्लिखित अनुबंध

i. पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार को रिलीज की गई केंद्रीय अंश की निधियों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	**रिलीज की गई केंद्रीय अंश की निधियां (रु. करोड़ में)**
2018-19	1,135.52
2019-20	1,815.32
2020-21	1,310.10
2021-22 (10.03.2022 तक)	579.85
कुल	**4,840.79**

ii. महाराष्ट्र राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों की संख्या:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**10.03.2022 की स्थिति के अनुसार निर्मित मकान**
महाराष्ट्र	15,05,983	7,79,534
अंडमान एवं निकोबार	1,337	992

*****